लोकतंत्र, निर्वाचन प्रणाली एवं मतदान व्यवहार

प्रो. मनमीत कौर
राजनीति विज्ञान विभाग,
बरेली कालेज, बरेली

प्रो. वंदना शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग,
बरेली कालेज, बरेली

अमूरत

लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता होती है। निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जनता अपनी राय प्रकट करती है। इस राय को ही मतदान व्यवहार के रूप में हम देखते हैं। जितना पुराना लोकतंत्र है, उतनी ही प्राचीन है निर्वाचन प्रणाली। किसी निर्वाचन प्रणाली की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि जनता कैसा मतदान व्यवहार करेगी। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है और जनता को प्रभावित करने वाले कारक– आर्थिक, सामाजिक आदि भी भिन्न होते हैं। इन्हीं कारकों के कारण प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक संस्कृति और मतदाता का मतदान व्यवहार भिन्न–भिन्न होता है। इन विभिन्न कारकों के अध्ययन के द्वारा हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं के व्यवहार को समझते हैं और निर्वाचन प्रणाली में सुधार, जागरूकता कार्यक्रमों, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। स्त्री–पुरूष समानता बिना शिक्षा के संभव नहीं और इसके बिना स्त्री की लोकतंत्र में सहभागिता अर्थात् उसका मतदान व्यवहार सुदृढ़ नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार राजनीतिक समानता प्रदान किए बिना लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बेहतर नहीं किया जा सकता है। इस लेख के द्वारा हम लोकतंत्र के प्राचीन स्वरूप पर दृष्टि डालते हुए निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता द्वारा मतदान करते समय कौन–कौन से कारकों को ध्यान में रखा जाता है, का अध्ययन करेंगे।

मुख्य शब्दावली : लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, मतदान व्यवहार, विचारधारा, मतदान प्रणाली, बहुमत आदि।

प्रस्तावना

राजनीति शास्त्र के आरंभिक चिंतन से लोकतंत्र पर विमर्श की शुरूआत होती है और आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान तक लोकतंत्र पर अध्ययन निरन्तर जारी है। ग्रीक मूल के शब्द 'डेमोस' से 'डेमोक्रेसी' शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन समय से ही लोकतंत्र पर चर्चा जारी है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी और कहा ''जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए'' बनाई गयी शासन प्रणाली ही लोकतंत्र है।

जनता की ये भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित की जाये, इसके लिए लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली का महत्व बढ़ जाता है। जैसे–जैसे राजनीति विज्ञान अनुभव मूलक पद्धति की ओर बढ़ी, तो निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान व्यवहार की क्या स्थिति है, इसका भी अध्ययन किया जाना प्रारंभ हुआ।

प्राचीन यूनानी नगर–राज्यों में लोकतंत्र का प्राचीन रूप देखने को मिलता है लेकिन उसमें सबकी समान सहभागिता नहीं होने के कारण वह लोकतंत्र का निकृष्टतम रूप था। प्लेटो ने इस तंत्र की आलोचना करते हुए इसे भीड़तंत्र की संज्ञा दी। हॉब्स, लॉक व रूसो ने लोकतंत्र

के विभिन्न सिद्धान्त दिए और लोकतंत्र के सिद्धान्त का निरन्तर विकास होता रहा। सर्वप्रथम हॉब्स ने सरकार निर्माण में आम लोगों की सहमति का विचार प्रस्तुत किया लेकिन राजतंत्रीय निरंकुश शासन प्रणाली का समर्थन किया। जनता की भागीदारी को लेकर अस्पष्ट विचार इस सिद्धान्त की आलोचना हुई और लॉक द्वारा लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसका मानना था कि राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत जनता है, परन्तु लॉक ने भी निर्वाचन प्रणाली के स्तर पर संपत्तिशाली लोगों के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया और लोकतंत्र को कुछ विशिष्ट जनों द्वारा संचालित शासन व्यवस्था बना दिया। इसी श्रृंखला में रूसो ने पिछले सभी राजनीतिक सिद्धान्तों से आगे जाते हुए लोकतंत्र को एक नैतिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया तथा उसका मानना था कि इसके द्वारा ही सभी लोगों का शासन सुनिश्चित किया जा सकता है।

हॉब्स, लॉक और रूसो का राजनीतिक चिंतन यह प्रदर्शित करता है कि लोकतंत्र राज्य के प्रमुख उद्देश्य, 'सार्वजनिक जीवन' की पूर्ति के लिए एक अच्छी व्यवस्था प्रस्तुत करता है, परन्तु अभी तक निर्वाचन प्रणाली के विकास पर विशेष कार्य नहीं हुआ। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश राजनीतिक विज्ञानी बेंथम द्वारा जनता की भागीदारी के लिए एक सूत्र प्रस्तुत किया गया। यह सूत्र था– एक व्यक्ति–एक वोट। इस सिद्धान्त ने लोकतंत्र के संचालन के लिए निर्वाचन प्रणाली का आधार क्या हो? इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर दिया। पश्चिमी देशों में 19वीं सदी तक यह विचार पूर्णतः लागू नहीं हुआ और स्त्री मतदान अधिकार अमेरिका में 1919, इग्लैण्ड में 1928, फ्रांस में 1945 व स्विट्जरलैण्ड में 1971 में प्रदान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन प्रणाली ही जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के निरन्तर संचालन के लिए जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता, आवधिक चुनाव, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिक अधिकारों की व्यवस्था।

जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने की स्वतंत्रता के लिए एक से अधिक राजनीतिक दलों की व्यवस्था होनी चाहिए। दलीय स्वतंत्रता द्वारा ही जनता को विकल्प मिलेंगे और वह अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करके सबसे उपयुक्त दल से प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। चुनाव संपन्न होने के बाद, आवधिक चुनाव ही वह प्रक्रिया है, जिसके कारण राजनीतिक दल जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित आवधिक चुनाव एक महत्वपूर्ण शर्त है। जनता की प्रतिपुष्टि के लिए राजनीतिक दल सदैव जनहित पर ध्यान देते रहेंगे। आवधिक चुनाव की प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए।

निर्वाचन व्यवस्था को चलाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी अतिआवश्यक है। इसके बिना उत्पन्न होने वाले विवाद समाप्त नहीं हो सकेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जायेगी।

अतः लोकतंत्र के संचालन के लिए केवल संविधान नहीं, संविधानवाद की आवश्यकता होती है। संविधानवाद के द्वारा हम यह जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन ऊपरी

तार पर हो रहा है या केवल प्रदर्शन के लिए संवैधानिक मूल्यों को प्रदर्शित किया जा रहा है। संविधानवाद की कसौटी पर कसने के लिए हम निर्वाचन प्रणाली व मतदान व्यवहार के अध्ययन के बिना लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित नहीं कर सकते।

निर्वाचन प्रणाली ही वह तरीका है जो यह सुनिश्चित करेगा कि जनता कितनी आसानी से व्यवस्था निर्माण में भाग ले सकती है? भारत में विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियों का प्रयोग होता है। यथा– सरल बहुमत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आदि।

सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली जिसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होते हैं, वह है सरल बहुमत प्रणाली। 'सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली विजयी' (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) पद्धति प्रचलित है। इस पद्धति में सरलता है लेकिन बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह प्रणाली कई बार कुल मतदाता के छोटे से समूह का ही प्रतिनिधित्व करती है। छोटे दलों व अल्पसंख्यकों को इस प्रणाली से नुकसान होता है। इस प्रणाली में लहर या करिश्माई व्यक्तित्व से एकाएक लाभ लिया जा सकता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, दबाव समूह भी कई बार मतदान को सीधे प्रभावित कर देते हैं।

बहुमत प्रणाली के अंतर्गत वैकल्पिक प्रणाली को रखा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में तीन या तीन से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं तो मतदाता अपना मत विभिन्न उम्मीदवारों को 1, 2, 3 आदि की वरीयता क्रम में देता है। यदि किसी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता प्राप्त मतों से विजय नहीं मिलती है तो सबसे कम प्रथम वरीयता प्राप्त प्रत्याशी मुकाबले से बाहर हो जाता है तथा उसके द्वितीय वरीयता के मत बाकी बचे प्रत्याशियों के प्रथम वरीयता मतों से जोड़ दिये जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी एक प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है। यह पद्धति भारत व अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अपनाई जाती है।

बहुमत प्रणाली के अंतर्गत दुबारा मतदान प्रणाली में मतदाता एक ही उम्मीदवार को मत देता है तथा यदि उम्मीदवार नहीं जीत पाता तो पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तों के साथ दुबारा मतदान कराया जाता है। इस बार एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत मत पाने वाले दल/प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है, जिससे बहुमत सुनिश्चित हो सके। इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यक वर्गों के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। इसका लक्ष्य मतदाताओं को अपने–अपने वोटों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। प्रथम प्रणाली है– सूची प्रणाली– इसमें मतदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की सूचियाँ दी जाती हैं और वह उनमें से किसी एक सूची पर निशान लगा देता है। मध्य यूरोप में यही प्रणाली अपनाई जाती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली में मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों को 1, 2, 3 आदि की वरीयता में मत देता है व चुनाव जीतने के लिए चुनाव क्वोटा के बराबर मत प्राप्त होना जरूरी होता है।

$$\text{चुनाव क्वोटा} = \frac{\text{निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों की संख्या}}{\text{रिक्त स्थानों की संख्या} + 1} + 1$$

अतिरिक्त वोटों को अन्य प्रत्याशियों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जाती। आयरलैंड में यह प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली में सौदेबाजी के आधार पर मिली–जुली सरकारें बनती हैं और स्थिरता का अभाव रहता है।

निर्वाचन प्रणाली में निरन्तर सुधार होते रहते हैं। वर्तमान में निर्वाचन प्रणाली के प्रमुख अंग है–

1. निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण
2. मतदाता अर्हता निर्धारण
3. उम्मीदवार अर्हता निर्धारण
4. मतदान विधि व मतपत्र गणना संबंधी नियम
5. विवाद निपटान निर्धारण व्यवस्था

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में मतदाता अर्हता निर्धारण न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गयी। शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि आधारों पर नहीं। उम्मीदवार अर्हता की शर्तें भी बहुत आसान है। सामाजिक रूप से स्वीकृत नागरिक व न्यूनतम आयु प्राप्त कर चुका हो। चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण करना व चुनाव प्रचार के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करना। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निरन्तर बेहतर बनाने के लिए नई–नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। 1998 में सबसे पहले मतपत्रों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (स्टड) का प्रयोग शुरू किया। 2004 से लोकसभा चुनावों में इसका प्रयोग जारी है। निर्वाचन प्रणाली में जनता को यह अहसास होना आवश्यक है कि वह अपनी भागीदारी करने के पश्चात् सार्वजनिक कल्याण प्राप्त करेगी। इस भागीदारी में वह किस प्रकार व्यवहार करती है, इसके लिए हमें मतदान व्यवहार का अध्ययन करना होगा और उन कारकों को पहचानना होगा, जिनसे मतदान व्यवहार प्रभावित होता है।

मतदान व्यवहार

लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदाता जिस प्रकार निर्वाचन प्रणाली में भाग लेता है वह मतदाता व्यवहार या निर्वाचक व्यवहार कहलाता है। मतदाता से किसी विशेष पार्टी का चयन क्यों किया? किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान क्यों हुआ? चुनाव प्रचार के समय के मुद्दे घटनाएं किस प्रकार मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं? इस प्रकार के अन्य सभी वे कारण जिनसे मतदाता प्रभावित होता है और यह प्रभाव उसके मतदान व्यवहार में परिलक्षित होता है। इस प्रकार प्लानो एण्ड रिग्स की परिभाषा– ''सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं, इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र ही मतदान व्यवहार है और इसमें वे कारण भी शामिल हैं कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं।''

लोकतंत्र के निरन्तर विकास के लिए स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न होना पहला व महत्वपूर्ण शर्त है। इसी के लिए मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतदाता के मन में यह विचार न बनने पाए कि उसके वोट डालने से क्या होगा? मतदान व्यवहार का अध्ययन सेफोलॉजी के अन्तर्गत किया जाता है। यह शब्दावली पश्चिमी राजनीतिक विज्ञानियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लायी गयी।

मतदान व्यवहार के अध्ययन के कई लक्ष्य हो सकते हैं। राजनीतिक दल ऐसे अध्ययनों के द्वारा अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, चुनावी मुद्दे, चुनाव प्रचार की प्रक्रिया आदि निर्धारित करते हैं। चुनाव विश्लेषकों को ये जानने का विषय होता है कि कौन–कौन से कारक राजनीतिक संस्कृति व मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं? किसी पार्टी विशेष की किसी स्थान विशेष में कैसी स्थिति रहेगी? अ

शिक्षक, शोधकर्त्ता के लिए मतदान व्यवहार के ऐसे होने के पीछे के कारण जानने का लक्ष्य होता है और कैसे प्रतिकूल कारणों को दूर करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए।

विभिन्न लक्ष्यों के लिए अध्ययन की प्रणाली भी भिन्न–भिन्न होती है। लेकिन मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक समान रहते हैं। यथा : जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, धन बल, बाहुबल, व्यक्तित्व, सत्ताधारी दल का प्रभाव, विचारधारा दलीय पहचान, राजनीतिकता, स्थिरता, तात्कालिक कारण जैसे–युद्ध, करिश्माई नेतृत्व की मृत्यु आदि।

1. **जाति–** जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जातियों को राजनीति में प्रयोग करना, भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ग्रामीण स्तर पर जातीय एकता मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। जाति एक जुड़ाव का प्रमुख कारक है और चुनाव में परिलक्षित होती है।

2. **क्षेत्र–** क्षेत्रीयता चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। क्षेत्रवाद की भावनाएं भी राजनीतिक पार्टी की ओर झुकाव करती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, उ०पू० राज्यों में यह मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

3. **धर्म –** धार्मिक भावनाओं का शोषण या पोषण मतदान व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। धर्म का राजनीतिकरण एक प्रमुख समस्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बाद भी भारत की सभी पार्टियाँ धर्म की राजनीति करती हैं।

4. **भाषा–** भाषाई आधार पर चुनाव व्यवहार यह प्रदर्शित करता है कि जनता अपनी सस्कृति, क्षेत्र, भाषा को अपने प्रतिनिधि चुनते समय प्रमुखता देती है। महाराष्ट्र, दक्षिण राज्य, गुजरात में यह मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण रहा है।

5. **धनबल व बाहुबल–** धनबल का प्रभाव गुजरात, पंजाब और दक्षिण के कुछ राज्यों में दिखता है जबकि बाहुबल का प्रभाव विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में देखा जाता है। चुनाव प्रचार में शराब आदि का विस्तृत रूप से प्रयोग मतदाता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और मतदान पर धनबल व बाहुबल का प्रभाव पड़ता है।

6. **व्यक्तित्व–** आज़ादी के समय से कांग्रेस अपने नेता नेहरू के व्यक्तित्व के कारण जीतती आयी। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका, विदेशों में अच्छी पकड़ आदि कारण थे, जिनसे जनता प्रभावित होती थी। इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी अपने व्यक्तित्व के साथ–साथ गाँधी उपनाम से भी जनता के मतदान व्यवहार को परिवर्तित कर देते थे। गैर कांग्रेसी व्यक्तित्व में जय प्रकाश नारायण, अटल बिहारी बाजपेयी ने जनता को अपने व्यक्तित्व से जोड़ा और चुनावों में इसका लाभ उठाया। करिश्माई व्यक्तित्व, विकासशील राष्ट्रों में मतदान व्यवहार को परिवर्तित करने का एक सशक्त कारक रहा है।

7. **सत्ताधारी दल का प्रभाव व दलीय पहचान–** वर्तमान समय में यह मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण है। कार्यकर्त्ता जनता के बीच अपने क्रियाकलापों के द्वारा अपनी दलीय पहचान प्रदर्शित करते रहते हैं। युवाओं में यह प्रवृत्ति अधिकांश रूप से पायी जाती है। यह मतदान के समय उनको प्रभावित करती है।

8. **विचारधारा–** विचारधारा का प्रसार राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख एजेंडा होता है। चुनावी वर्ष से पूर्व पार्टियाँ विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपनी विचारधारा का प्रसार करती हैं। यह पढ़े–लिखे वर्ग को जोड़ती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रसारित करवाती हैं। वामपंथी विचारधारा इसके विपरीत विश्वविद्यालय स्तर अपना संगठन बनाती है। दक्षिणपंथी विचारधारा के राष्ट्रवादी विचार विशेष कर उत्तर भारत में जनता को प्रभावित करते हैं और मतदान व्यवहार में भी परिलक्षित हो जाता है।

9. **राजनीतिक स्थिरता–** वयस्क मतदाता राजनीतिक स्थिरता के लिए भी मतदान करता है। इस पक्ष की ओर झुकाव का प्रमुख कारण यह है कि वे विदेश संबंधों के लिए एक मजबूत केन्द्र सरकार चाहते हैं। विधानसभा चुनावों में भी यह एक प्रमुख तत्व होता है। इस पहलू के आधार पर मतदान करने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं होती।

10. **तात्कालिक कारण**–

(प)युद्ध– किसी युद्ध में जय या पराजय तात्कालिक चुनाव को प्रभावित करती है।

(पप)नेतृत्वकर्त्ता की मृत्यु– इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के प्रति लोगों का भावनात्मक झुकाव बढ़ गया और कांग्रेस अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्राप्त हुई।

(पपप)आर्थिक दशाएं– बेरोजगारी, मंदी आदि भी तात्कालिक कारण में प्रमुख हैं।

(पअ)चुनाव अभियान– तात्कालिक रूप से दल से किस प्रकार मुद्दों को उठाया, उससे भी मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। गरीबी हटाओ के नारे ने इंदिरा गांधी के चुनाव विजय को सुनिश्चित किया। मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा यूपीए सरकार ने ग्रामीण वर्ग का मत प्राप्त किया।

निष्कर्ष

लोकतंत्र एक प्रणाली के रूप में निरन्तर विकसित हो रहा है। विभिन्न विचारकों के योगदान से इस शासन प्रणाली में निरन्तर सुधार किए गए। लोकतंत्र की सफलता जनता के द्वारा किए गए मतदान व्यवहार पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली के इतिहास को देखते हुए यह कह सकते हैं कि यह प्रणाली जनता के कल्याण में सहायक सिद्ध हुई है। निर्वाचन प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे इसके लिए निर्वाचन आयोग निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम

व मतदाता शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जागरूक कार्यक्रमों के द्वारा निरन्तर यह शिक्षा दी जा रही है कि धनबल, बाहुबल, जातिवाद आदि के आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए। मतदाता अपने भविष्य के लिए मतदान करता है और इस आशा में लोकतंत्र की मजबूती जुड़ी है। मतदान व्यवहार के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि यदि मतदान व्यवहार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों का प्रभाव न्यूनतम कर दिया जाये तो जनता जनार्दन बन जायेगी। नियमित अवधि पर स्वच्छ चुनाव व जनता का मतदान व्यवहार लोकतंत्र की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाते हैं और सबकी भागीदारी की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं।

संदर्भ

1. तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा– ओम प्रकाश गाबा, 2019, मयूर बुक्स, नई दिल्ली।
2. भारत की राजव्यवस्था– एम. लक्ष्मीकांत, छठा संस्करण, 2021, मैक्ग्रा हिल प्रकाशन, चेन्नई।
3. राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा– ओम प्रकाश गाबा, नवम संस्करण, 2023, नेशनल पेपरबैक्स, नई दिल्ली।
4. भारतीय शासन एवं राजनीति– डा. पुखराज जैन, डा. बी.एल. फड़िया, 2022, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
5. राजनीतिक सिद्धांत एवम अवधारणाएं– डा. एस.सी. सिंहल, 2020, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
6. तुलनात्मक शासन और राजनीति– शालिनी वाधवा, तीसरा संस्करण, 2020 अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।
7. भारतीय शासन एवं राजनीति– डा. ए.पी. अवस्थी, 2020, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।